

**Council of Scientific and Industrial Research
Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi**

No.8-6(2)/2014-Security

Feb.9, 2015

OFFICE MEMORANDUM


**Sub: Introduction of Aadhaar Enabled Biometric Attendance System
(AEBAS) in CSIR HQ**

In accordance with the GoI directives as contained in Department of Personnel & Training OM No. 11013/9/2014/Estt[A-III] dated 21 November 2014, efforts are underway to introduce/implement Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) in CSIR in a phased manner.

1. In the first phase, it has been decided to introduce/implement AEBAS in the CSIR HQ. (including HRDG, ESD, RAB, TKDL and IPU) and Competent Authority has nominated Ms Renuka Ramachandran, US CSIR HQ as the Nodal Officer for this purpose to interact with the ANIC officials and facilitate administrative support from the CSIR HQ..
2. A compilation of processes for implementation of AEBAS activities as compiled by Head IT is enclosed for guidance.
3. It is requested that the Heads of Divisions may encourage their staff to obtain Aadhaar Registration numbers as Special Aadhaar Enrolment Camps (AECs) shall be organized by the Nodal Officer in coordination with UIDAI in the office premises for the benefit of Non-Aadhaar holders depending on the requirement.
4. In order to achieve smooth and time bound transition to the implementation of AEBAS in CSIR HQ, the Competent Authority is pleased to constitute the following Committee with the terms of reference indicated hereunder:

Head, IT	Chairman
SPO	Member
Sr Dy FAO	Member
Sr DS(CO)	Member
Ms Renuka Ramachandran,US (G)	Nodal Officer cum Member Convenor

5. The above Committee will
 - (i) identify secured, easily accessible and safe locations for placement of the Biometric devices identified;
 - (ii) decide on the appropriate type and number of biometric devices that are required for hassle free attendance marking;
 - (iii) ensure timely procurement of the devices so identified and their installation with the back-end support of empanelled vendors with DGS&D/NICSI;
 - (iv) facilitate commissioning of AEBAS including mandatory Network requirement and trial runs before notifying implementation of AEBAS in CSIR HQ; and
 - (v) recommend operational issues, if any, that may arise after successful implementation of AEBAS in the CSIR HQ.


YK Sharma
Sr DS (CO)

All Members of the Committee

Copy to:
All Heads of Division including HRDG/ESD/RAB/IPU
US, Office of DG CSIR
PA to JS(A)/FA/CVO / Office Copy

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

NEW DELHI

**Indicative activities and Implementation schedule for AEBAS at CSIR Hqrs and
Delhi based Labs./Instts.**

S. No.	Activity	Remarks
I	Administrative Activities	
1.	Appointment & Notification of Nodal officer for CSIR Hqrs	
(a)	Intimation on the inclusion of CSIR for On-Board Registration	
(b)	Constitution of a Committee to look into the procurement, type of devices, site preparedness and commissioning	
2.	Collecting Aadhaar Details	
(a)	Issue circular to all staff seeking Aadhaar details for employee registration	
(b)	Issue circular for facilitating Aadhaar enrollment to those who do not possess Aadhaar Card	
2.1	Organize AECs to cover all employees under Aadhaar	
2.2	Verification of AADHAR submitted by employees	
3.	Create an onboarding request to NIC	
4.	Notify all the employees to enroll themselves on attendance website	
4.1	Departmental verification of Enrolled employees	
5.	Framing guidelines/policy / for procurement, device identification, nos. required and site preparedness	

... contd.

II	<i>Procurement and Commissioning of Attendance system hardware</i>	
6.	Raising indent for procurement of Biometric devices as per specs. of DeITY, Govt of India	
7.	Seeking approvals and placement of order for Biometric devices	
8.	Supply , installation , commissioning & testing	
9.	Trial Runs	
III	Operationalization & Handling	
10	Ensure employee have marked their attendance	
11.	For scanning errors ,reported if any , Arrangement of (Best finger Detection (BFD) camp in consultation with UIDIA	
12.	Issue the instructions to start biometric attendance as per the directive of DSIR to comply DOPT orders	
13.	Monitoring & Reporting	

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली

सं.8-6(2)/2014-सुरक्षा

दिनांक: फरवरी 9, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर मुख्यालय में आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.11013/9/2014/स्था.(ए-III) में दिए गए निदेशानुसार सीएसआईआर में आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ईबीएस) को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ/लागू करने हेतु प्रयास जारी है।

1. प्रथम चरण में, सीएसआईआई मुख्यालय में (एचआरडीजी, ईएसडी, आरएबी, टीकेडीएल तथा आईपीयू सहित) ईबीएस प्रारंभ/लागू करने का निर्णय लिया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी ने एएनआईसी अधिकारियों से बात-चीत करने तथा सीएसआईआर मुख्यालय से प्रशासनिक सहायता देने के उद्देश्य से सुश्री रेणुका रामचंद्रन, अवर सचिव, सीएसआईआर मुख्यालय को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है...
2. प्रमुख, आईटी द्वारा ईबीएस क्रियाकलापों को लागू किए जाने हेतु तैयार प्रक्रियाओं का संकलन मार्गदर्शनार्थ संलग्न है।
3. प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि अपने स्टाफ को आधार पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें क्योंकि आधार न रखने वालों के लाभार्थ कार्यालय परिसर में यूआईडीएआई के सहयोग से नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष आधार नामांकन कैम्प आयोजित किया जाएगा।
4. सीएसआईआर मुख्यालय में ईबीएस को सहज तथा समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने निम्नांकित विचारार्थ विषय के संदर्भ में निम्नलिखित समिति का गठन किया है:

प्रमुख, आईटी	अध्यक्ष
भण्डार एवं क्रय अधिकारी	सदस्य
वरिष्ठ उप वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य
वरिष्ठ उप सचिव (के.का.)	सदस्य

सुश्री रेणुका रामचंद्रन, अवर सचिव, (सा) नोडल अधिकारी एवं संयोजक सदस्य
5. उक्त समिति
 - (i) अभिनिर्धारित बायोमेट्रिक डिवाइसों के स्थापन हेतु सुरक्षित, सुगम्य तथा संरक्षित स्थानों को अभिनिर्धारित करेगी;
 - (ii) अवरोध मुक्त उपस्थिति दर्ज करने के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक डिवाइसों के उपयुक्त प्रकार तथा संख्या निश्चित करेगी;
 - (iii) अभिनिर्धारित डिवाइसों की समय पर प्राप्ति तथा डीजीएसएंडडी/एनआईसीएसआई के यहां नामिकायित बैंक-एंड आपूर्ति करने वाले वेंडरों से उनका संस्थापन सुनिश्चित करेगी;
 - (iv) सीएसआईआर मुख्यालय में ईबीएस को लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी करने से पहले अनिवार्य नेटवर्क की आवश्यकता सहित ईबीएस के प्रारंभन तथा परीक्षण में सहायता करेगी; तथा
 - (v) सीएसआईआर मुख्यालय में ईबीएस के सफल कार्यान्वयन के बाद सामने आने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों, यदि कोई हो, की संस्तुति करेगी।

(वाई के शर्मा)

वरिष्ठ उप सचिव (के.का.)

समिति के सभी सदस्य

प्रति:

एचआरडीजी/ईएसडी/आरएबी/आईपीयू सहित सभी प्रभागों के प्रमुख
अवर सचिव, महानिदेशक सीएसआईआर का कार्यालय
संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/कार्यालय प्रति

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली**

सीएसआईआर मुख्यालय और दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों में आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (आईबीएस) हेतु संकेतात्मक गतिविधियां और कार्यान्वयन शिड्यूल

क्रम सं.	गतिविधि	टिप्पणियां
I	प्रशासनिक गतिविधियां	
1.	सीएसआईआर मुख्यालय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं अधिसूचना	
(क)	ऑन-बोर्ड पंजीकरण हेतु सीएसआईआर के समावेशन विषयक सूचना देना	
(ख)	प्रापण, उपरणों की किस्म, स्थल तैयारी और आरंभन की जांच करने के लिए समिति का गठन	
2.	आधार संबंधी जानकारी एकत्र करना	
(क)	कर्मचारी के पंजीकरण हेतु आधार संबंधी जानकारी मांगने के लिए सभी स्टाफ को परिपत्र जारी करना	
(ख)	जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिपत्र जारी करना	
2.1	सभी कर्मचारियों को आधार में सम्मिलित करने के लिए आईसी का आयोजन करना	
2.2	कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आधार का सत्यापन	
3.	एनआईसी हेतु ऑन-बोर्ड अनुरोध सृजित करना	
4.	उपस्थिति वेबसाइट पर अपने आपको नामांकित करवाने के लिए सभी कर्मचारियों को अधिसूचित करना	
4.1	नामांकित कर्मचारियों का विभागीय सत्यापन	
5.	प्रापण, उपकरण का अभिनिर्धारण, अपेक्षित संख्या और स्थल तैयारी हेतु दिशानिर्देश/नीति तैयार करना	

जारी:2/-

II	उपस्थिति प्रणाली हार्डवेयर का प्रापण एवं आरंभन	
6.	बायोमेट्रिक उपकरणों के प्रापण हेतु DelTY, भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुसार मांग पत्र तैयार करना	
7.	बायोमेट्रिक उपकरणों हेतु अनुमोदन लेना और आदेश देना	
8.	आपूर्ति, अधिष्ठापन, आरंभन एवं परीक्षण	
9.	ट्रायल रन्स	
III	प्रचालन एवं नियंत्रण	
10.	यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है	
11.	यदि किसी त्रुटि की जानकारी दी गई है तो स्कैनिंग के लिए यूआईडीआईए के परामर्श से (बैस्ट फिंगर डिटेक्शन (बीएफडी)) कैम्प की व्यवस्था करना	
12.	डीओपीटी के आदेशों का अनुपालन करने के लिए डीएसआईआर के दिशानिर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रारंभ करने के लिए अनुदेश जारी करना	
13.	मॉनीटरन एवं रिपोर्ट करना	